

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-68
दिनांक 02 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय विद्युत योजना

*68. श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय विद्युत योजना का ब्यौरा क्या है तथा सरकार वर्ष 2032 तक कितनी क्षमता हासिल करना चाहती है; और

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्युत क्षेत्र की भूमिका क्या है?

उत्तर

विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“राष्ट्रीय विद्युत योजना” के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 68 के संबंध में भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(4) के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा और पांच वर्ष में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करेगा। तदनुसार, सीईए समय-समय पर विभिन्न समयावधियों के लिए विस्तृत और परिप्रेक्ष्य योजनाओं को शामिल करते हुए एनईपी तैयार करता रहा है। सीईए द्वारा तैयार की गई चौथी राष्ट्रीय विद्युत योजना में वर्ष 2017-22 की अवधि की समीक्षा, वर्ष 2022-27 के दौरान विस्तृत क्षमता वृद्धि की आवश्यकता और वर्ष 2027-32 के लिए परिप्रेक्ष्य योजना अनुमान शामिल हैं।

2. चौथी राष्ट्रीय विद्युत योजना (खंड I: उत्पादन) के अनुसार, देश की लगभग 366 गीगावाट की अनुमानित उच्चतम मांग और 2474 बीयू की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वर्ष 2031-32 के लिए संस्थापित क्षमता लगभग 900 गीगावाट होने की संभावना है, जिसमें 304 गीगावाट पारंपरिक क्षमता और 596 गीगावाट नवीकरणीय आधारित क्षमता के साथ-साथ 47 गीगावाट /236 गीगावाट घंटा की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता शामिल है।

3. राष्ट्रीय विद्युत योजना (खंड-II: पारेषण) के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें और 1274 गीगा वोल्ट एम्पीयर (जीवीए) ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है। इस नियोजित वृद्धि के साथ, वर्ष 2031-32 तक कुल पारेषण लाइनें और कुल ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) क्रमशः लगभग 6,48,190 सीकेएम और 2345 जीवीए होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 से 2031-32 की अवधि के दौरान 33.25 गीगावाट एचवीडीसी बाईपोलर लिंक भी जोड़े जाने की योजना है। इस प्रकार, वर्ष 2031-32 तक कुल एचवीडीसी क्षमता लगभग 66.75 गीगावाट होने की संभावना है। अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को वर्तमान 119 गीगावाट के स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2031-32 तक 168 गीगावाट करने की योजना है।

4. उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार समयबद्ध तरीके से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अपेक्षित कदम उठा रही है। केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की संस्थाओं को आवश्यक उत्पादन और पारेषण क्षमता जोड़ने के लिए कार्रवाई करनी होगी। पर्याप्त उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने संसाधन पर्याप्तता (आरए) नियमावली और दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। ये नियम राज्य आयोगों द्वारा विनियमों की अधिसूचना और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दीर्घकालिक राष्ट्रीय संसाधन पर्याप्तता योजना को अधिदेशित करते हैं। इन नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के आधार पर वितरण लाइसेंसधारियों को अपनी आरए योजना तैयार करनी होती है और मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता जुटानी होती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-73

दिनांक 02 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के प्रभाव

*73. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को शामिल करते हुए, परन्तु इस तक सीमित न रखते हुए, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) का देश के विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्मार्ट मीटरों को लगाने से उपभोक्ताओं, विशेषकर किसानों और निम्न आय वर्ग के लोगों को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के प्रभाव के संबंध में” के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को उत्तरार्ध राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 73 के संबंध में भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में 97,631 करोड़ रुपये के सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 3,03,758 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई थी। डिस्कॉम/विद्युत विभागों अर्थात् वितरण यूटिलिटीयों की वित्तीय स्थिरता और प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार आरडीएसएस के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस स्कीम में वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% तक कम करने तथा आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर गैप) के बीच के अंतर को शून्य करने की परिकल्पना की गई है।

यह स्कीम राज्यों/यूटिलिटीयों को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुधार हेतु प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। आरडीएसएस के परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स के तहत उल्लिखित मापदंडों के निमित्त यूटिलिटीयों के कार्यनिष्पादन के आधार पर, जिसमें प्रमुख वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंडों के निमित्त उपलब्धि शामिल है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार, सहायता को कार्यनिष्पादन से जोड़ा गया है।

अत्यंत आवश्यक वित्तीय अनुशासन लाने के लिए, इस स्कीम के अंतर्गत अर्हता-पूर्व मानदंड है, जिसमें सब्सिडी और सरकारी विभाग के बकाये का समय पर भुगतान, विनियामक परिसंपत्तियों का कोई नया सृजन नहीं करना, वित्तीय लेखे का समय पर प्रकाशन, टैरिफ/ड्र-अप याचिकाओं को समय पर दाखिल करना और टैरिफ/ड्र-अप आदेश जारी करना आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, हानि न्यूनीकरण और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए आरडीएसएस के तहत 2.77 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। संस्वीकृत कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और अब तक -17% की वास्तविक प्रगति हासिल की गई है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयास से, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटीयों की एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 22.32% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 15.37% हो गई है और एसीएस-एआरआर अंतर वित्त वर्ष 2021 में 0.69 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 0.45 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है।

(ख) : आरडीएसएस के अंतर्गत पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित स्मार्ट मीटरों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ग) : स्मार्ट मीटर के कार्यान्वयन से डिस्कॉम और उपभोक्ताओं दोनों को कई लाभ मिलेंगे। स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली अपनाने के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाले कुछ लाभ निम्नानुसार हैं:

- i. स्मार्ट मीटर खपत पैटर्न पर नज़र रखने की अनुमति देता है और उपभोक्ताओं को अपनी ऊर्जा खपत की योजना बनाने और प्रबंधन करने में मदद करता है।
- ii. मैनुअल मीटर रीडिंग से जुड़ी मानवीय त्रुटियों को खत्म करके मीटर रीडिंग की सटीकता में वृद्धि।
- iii. प्रीपेड बिलिंग आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को अपने संसाधनों को अधिक कुशलता से अधिक किफायती तरीके से प्रयोग करने और अपनी सुविधा के अनुसार छोटी राशि के साथ रिचार्ज करने में मदद करती है।
- iv. प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को विद्युत बिलों में छूट।
- v. रूफ-टॉप सोलर संस्थापना के लिए नेट-मीटरिंग की सुविधा।

आरडीएसएस के अंतर्गत, किसानों के लिए स्मार्ट मीटर की संस्थापना अनिवार्य नहीं है।

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्थापित स्मार्ट मीटरों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	उपभोक्ता मीटरिंग		डीटी मीटरिंग		फीडर मीटरिंग		कुल
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	
असम	18,27,154	4,62,294	38,047	0	1,865	713	23,30,073
आंध्र प्रदेश	2,35,733	1,50,241	0	13	54	805	3,86,846
बिहार	0	19,39,428	14,314	5,882	3,779	804	19,64,207
छत्तीसगढ़	1,28,268	4,32,937	8,796	13,268	2,642	2,565	5,88,476
गुजरात	55,096	1,64,336	7,346	23,247	0	0	2,50,025
हिमाचल प्रदेश	13,343	29,578	59	300	103	31	43,414
जम्मू और कश्मीर	400	600	0	0	0	99	1,099
मणिपुर	0	77	0	0	0	0	77
मध्य प्रदेश	11,287	10,01,965	0	5,411	0	1,479	10,20,142
महाराष्ट्र	57,170	2,97,870	20,385	29,657	18,717	6,656	4,30,455
सिक्किम	880	581	0	0	0	88	1,549
तमिलनाडु	0	0	0	0	50	530	580
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	83	83
उत्तराखंड	0	7	311	656	699	845	2,518
उत्तर प्रदेश	32,315	3,46,690	7,572	7,586	11,321	9,649	4,15,133
पश्चिम बंगाल	64,027	44,932	0	0	0	0	1,08,959
कुल	24,25,673	48,71,536	96,830	86,020	39,230	24,347	75,43,636

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-790

दिनांक 02 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

बिजली की मांग के कारण बिजली कटौती

790. डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बिजली की औसत खपत 215 गीगावाट है और व्यस्ततम समय के दौरान आपूर्ति 192 गीगावाट तक होती है जिससे देश के विभिन्न भागों में बिजली की भारी कटौती होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती खपत मांग के अनुसार बिजली आपूर्ति बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान बिजली की मांग और आपूर्ति में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2030 तक बिजली की खपत मांग को पूरा करने के लिए क्या प्रस्ताव किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : देश ने मई, 2024 के दौरान 249.854 गीगावाट की उच्चतम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वर्ष 2023-24 और चालू वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान अखिल भारतीय उच्चतम मांग, उच्चतम आपूर्ति और कमी का माहवार ब्यौरा अनुबंध-I पर है।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से 2023-24 और चालू वर्ष 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान ऊर्जा और उच्चतम के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-II पर है।

20वें विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण (ईपीएस) की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वर्ष 2029-30 में देश की उच्चतम विद्युत मांग 344.797 गीगावाट रहने का अनुमान है। इस विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) उत्पादन योजना:

क. वर्ष 2029-30 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 777.14 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों- कोयला, लिग्नाइट आदि, नवीकरणीय स्रोतों- सौर, पवन, जलविद्युत, पंप भंडारण परियोजना (पीएसपी) और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से प्राप्त क्षमता शामिल है।

ख. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित उच्चतम मांग से अधिक रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो कि 10 वर्षीय

गतिशील रौलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद योजना भी शामिल है।

ग. सभी राज्यों को उनकी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई।

घ. विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के परामर्श से वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 80,000 मेगावाट की तापविद्युत क्षमता जोड़ने की योजना की परिकल्पना की है। इस लक्ष्य के सापेक्ष 29,200 मेगावाट तापविद्युत क्षमता पहले से ही निर्माणाधीन है, जबकि 51,520 मेगावाट योजना एवं विकास के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त, 13,997.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं और 6,050 मेगावाट पम्प स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। 24,225.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं और 50,760 मेगावाट पीएसपी, योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, 7,300 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और 7,000 मेगावाट योजना एवं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(ii) **पारेषण नियोजन:** अंतर-राज्यीय और अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के अनुरूप समय-सीमा में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

(iii) **वितरण प्रणाली नियोजन:**

क. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) योजनाओं के माध्यम से देश की वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगभग 1.85 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया। भारत सरकार ने अब वित्तीय रूप से वहनीय और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से 20 जुलाई, 2021 को "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस)" शुरू की है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये और सकल बजटीय सहायता 1,50,000 करोड़ रुपये है। वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है। आरडीएसएस के तहत राष्ट्रीय स्तर पर वितरण अवसंरचना कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.77 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

ख. वर्ष 2030 तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए वितरण अवसंरचना की आवश्यकता के महत्व को समझते हुए, सीईए द्वारा वर्ष 2029-30 तक वितरण परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

(iv) **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन:**

क. भारत ने वर्ष 2031-32 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 5,00,000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। 5,00,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है।

- ख. सौर, पवन, पंप स्टोरेज संयंत्रों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस शुल्क में छूट।
- ग. वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व प्रक्षेप पथ।
- घ. हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना।
- ड. विस्तृत पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।

वर्ष 2023-24 और चालू वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान अखिल भारतीय उच्चतम मांग, उच्चतम आपूर्ति एवं कमी की स्थिति का माह-वार ब्यौरा:

(सभी आंकड़े गीगावाट में)

माह	2023-24			
	उच्चतम मांग	उच्चतम मांग पूरी की गई	अधिशेष/कमी(-)	
	गीगावाट	गीगावाट	गीगावाट	%
अप्रैल-2023	216.142	215.972	-0.170	-0.1
मई-2023	221.718	221.423	-0.295	-0.1
जून-2023	224.106	223.292	-0.814	-0.4
जुलाई-2023	209.039	208.952	-0.087	0.0
अगस्त-2023	238.824	236.295	-2.528	-1.1
सितम्बर-2023	243.271	239.931	-3.340	-1.4
अक्टूबर-2023	222.160	221.539	-0.620	-0.3
नवंबर-2023	204.777	204.568	-0.209	-0.1
दिसंबर-2023	213.793	213.620	-0.173	-0.1
जनवरी-2024	223.516	222.327	-1.189	-0.5
फरवरी-2024	222.166	222.003	-0.163	-0.1
मार्च-2024	221.823	221.684	-0.139	-0.1

माह	2024-25 (दिसम्बर, 2024 तक)			
	उच्चतम मांग	उच्चतम मांग पूरी की गई	अधिशेष/कमी(-)	
	गीगावाट	गीगावाट	गीगावाट	%
अप्रैल-2024	224.181	224.052	-0.129	-0.1
मई-2024	249.856	249.854	-0.002	-0.001
जून-2024	244.529	244.520	-0.009	0.0
जुलाई-2024	226.786	226.630	-0.156	-0.07
अगस्त-2024	216.486	216.470	-0.016	-0.01
सितम्बर-2024	230.613	230.458	-0.155	-0.07
अक्टूबर-2024	219.254	219.222	-0.032	-0.01

पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से 2023-24 और चालू वर्ष 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान ऊर्जा (मिलियन यूनिट में) और उच्चतम (मेगावाट में) के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति

वित्त वर्ष	विद्युत आवश्यकता	विद्युत की आपूर्ति की गई	विद्युत की आपूर्ति नहीं हुई		उच्चतम मांग	उच्चतम मांग पूरी की गई	उच्चतम मांग पूरी नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2019-20	12,91,010	12,84,444	6,566	0.5	1,83,804	1,82,533	1,271	0.7
2020-21	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4	1,90,198	1,89,395	802	0.4
2021-22	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4	2,03,014	2,00,539	2,475	1.2
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	2,15,888	2,07,231	8,657	4.0
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4
2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक)	10,28,850	10,27,589	1,261	0.1	2,49,856	2,49,854	2	0.001

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-789
दिनांक 02 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम को वित्तीय घाटा

789. श्री राघव चढ़ा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को जानकारी है कि राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को वर्ष 2022-23 में 68,832 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा हुआ है और पिछले वर्षों की तुलना में घाटे में इस भारी वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने विगत पांच वर्षों के दौरान डिस्कॉम द्वारा दर्ज की गई संचयी वित्तीय हानियों को विनिर्दिष्ट किया है और इन हानियों से सर्वाधिक प्रभावित विशिष्ट राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन बढ़ते वित्तीय घाटों को दूर करने और डिस्कॉम की प्रचालन दक्षता में सुधार करने के लिए मौजूदा योजनाओं की समीक्षा की है अथवा नए उपाय शुरू किए हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि डिस्कॉम का वित्तीय निष्पादन विद्युत क्षेत्र में सुधारों के उद्देश्यों के अनुरूप हो?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी हाँ । वित्त वर्ष 2023 में राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम)/विद्युत विभागों अर्थात विद्युत वितरण यूटिलिटीयों के वित्तीय हानियों में वृद्धि का मुख्य कारण ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) का कार्यान्वयन न करना था। विद्युत वितरण यूटिलिटी के राजस्व हानियों के अन्य प्रमुख कारणों में टैरिफ ऑर्डर में देरी, खराब बिलिंग और संग्रह दक्षता, राज्य सरकार के विभागों के विद्युत बकाए की कम वसूली और सब्सिडी राशि शामिल हैं।

(ख) : वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक विद्युत वितरण यूटिलिटी का राज्यवार संचित अधिशेष/(हानि) अनुबंध पर दिया गया है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार (जीओआई) विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए विद्युत वितरण यूटिलिटी का सहायता कर रही है। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- i. वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संसोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई। इस स्कीम के तहत धनराशि जारी करना राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा अपने वित्तीय कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने से जुड़ा है।
- ii. राज्य सरकारों को जीएसडीपी के 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने की शर्त पर है।
- iii. राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटीयों को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड जो निर्धारित शर्तों के निमित्त विद्युत वितरण यूटिलिटी के कार्य निष्पादन पर निर्भर होंगे।
- iv. एफपीपीसीए और लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें पारित की जाएं।
- v. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए जारी नियम और मानक संचालन प्रक्रिया।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयास से, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि वित्त वर्ष 2013 में 25.5% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 15.37% हो गई है और आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर गैप) के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2013 में 0.84 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 0.45 रुपये/किलोवाट घंटा रह गया है।

विद्युत वितरण यूटिलिटी का संचित अधिशेष/(हानि)

आंकड़े करोड़ रुपये में

	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
राज्य क्षेत्र	(4,84,405)	(5,11,784)	(5,66,426)	(6,09,034)	(6,76,681)
आंध्र प्रदेश	(29,147)	(29,143)	(28,707)	(31,195)	(29,218)
एपीसीपीडीसीएल	-	-	(9,407)	(10,208)	(9,726)
एपीईपीडीसीएल	(7,974)	(7,971)	(7,539)	(7,172)	(6,911)
एपीएसपीडीसीएल	(21,173)	(21,172)	(11,761)	(13,815)	(12,581)
असम	(1,913)	(959)	(1,229)	(893)	(1,699)
एपीडीसीएल	(1,913)	(959)	(1,229)	(893)	(1,699)
बिहार	(12,258)	(14,673)	(17,160)	(19,537)	(19,322)
एनबीपीडीसीएल	(3,888)	(4,670)	(5,846)	(6,881)	(7,089)
एसबीपीडीसीएल	(8,370)	(10,003)	(11,315)	(12,656)	(12,234)
छत्तीसगढ़	(6,318)	(7,290)	(7,710)	(8,924)	(10,057)
सीएसपीडीसीएल	(6,318)	(7,290)	(7,710)	(8,924)	(10,057)
गुजरात	988	79	436	798	935
डीजीवीसीएल	534	298	402	493	546
एमजीवीसीएल	356	244	290	393	418
पीजीवीसीएल	(172)	(577)	(431)	(341)	(300)
यूजीवीसीएल	270	114	175	252	272
हरियाणा	(29,309)	(28,978)	(28,341)	(28,404)	(28,165)
डीएचबीवीएनएल	(13,695)	(13,581)	(13,342)	(13,322)	(13,194)
यूएचबीवीएनएल	(15,614)	(15,396)	(14,999)	(15,082)	(14,971)
हिमाचल प्रदेश	(1,532)	(1,521)	(1,706)	(1,810)	(3,246)
एचपीएसईबीएल	(1,532)	(1,521)	(1,706)	(1,810)	(3,246)
झारखंड	(5,127)	(6,261)	(9,183)	(11,556)	(15,175)
जेबीवीएनएल	(5,127)	(6,261)	(9,183)	(11,556)	(15,175)
कर्नाटक	(3,794)	(5,645)	(9,821)	(14,413)	(17,559)
बेसकॉम	(148)	(1)	207	(2,712)	(4,480)
चेस्कॉम	(876)	(1,242)	(1,966)	(2,388)	(2,686)
गेस्कम	(1,002)	(1,995)	(3,113)	(3,101)	(3,398)
हेस्कॉम	(1,956)	(2,638)	(5,128)	(6,422)	(7,258)
मेस्कॉम	188	231	178	211	263
केरल	(11,239)	(12,104)	(18,970)	(24,266)	(29,335)
केएसईबीएल	(11,239)	(12,104)	(18,970)	(24,266)	(29,335)
मध्य प्रदेश	(51,061)	(52,981)	(56,880)	(61,010)	(64,843)
एमपीएमकेवीवीसीएल	(21,962)	(23,240)	(24,690)	(26,411)	(26,663)
एमपीपीएकेवीवीसीएल	(11,421)	(10,492)	(10,187)	(11,977)	(13,107)
एमपीपीओकेवीवीसीएल	(17,678)	(19,249)	(22,004)	(22,621)	(25,073)
महाराष्ट्र	(25,791)	(23,428)	(26,251)	(26,070)	(31,275)
एमएसईडीसीएल	(25,791)	(23,428)	(26,251)	(26,070)	(31,275)
मणिपुर	(116)	(131)	(146)	(157)	(286)
एमएसपीडीसीएल	(116)	(131)	(146)	(157)	(286)
मेघालय	(1,969)	(2,413)	(2,475)	(2,636)	(4,104)
एमईपीडीसीएल	(1,969)	(2,413)	(2,475)	(2,636)	(4,104)
पंजाब	(7,001)	(8,159)	(6,713)	(5,644)	(10,420)

पीएसपीसीएल	(7,001)	(8,159)	(6,713)	(5,644)	(10,420)
राजस्थान	(89,854)	(86,868)	(89,084)	(89,556)	(92,070)
एवीवीएनएल	(29,019)	(28,230)	(28,055)	(27,497)	(28,263)
जेडीवीवीएनएल	(29,775)	(29,765)	(31,497)	(32,962)	(34,488)
जे वीवीएनएल	(31,060)	(28,872)	(29,533)	(29,097)	(29,318)
तमिलनाडु	(87,895)	(99,860)	(1,38,643)	(1,51,639)	(1,62,507)
टीएएनजीईडीसीओ	(87,895)	(99,860)	(1,38,643)	(1,51,639)	(1,62,507)
तेलंगाना	(36,231)	(42,293)	(48,982)	(49,816)	(60,922)
टीएसएनपीडीसीएल	(11,869)	(12,984)	(15,427)	(15,634)	(18,593)
टीएसएसपीडीसीएल	(24,362)	(29,309)	(33,555)	(34,182)	(42,330)
त्रिपुरा	(333)	(391)	(382)	(514)	(804)
टीएसईसीएल	(333)	(391)	(382)	(514)	(804)
उत्तर प्रदेश	(81,342)	(85,069)	(70,661)	(78,004)	(91,632)
डीवीवीएनएल	(27,310)	(27,754)	(21,999)	(24,971)	(30,050)
केईएससीओ	(3,569)	(3,790)	(3,961)	(4,185)	(4,187)
एमवीवीएनएल	(14,858)	(15,557)	(13,447)	(15,520)	(20,345)
पीएवीवीएनएल	(16,227)	(17,295)	(20,919)	(21,624)	(17,970)
पीयूवीवीएनएल	(19,379)	(20,674)	(10,334)	(11,703)	(19,081)
उत्तराखंड	(3,122)	(3,699)	(3,851)	(3,872)	(5,096)
यूपीसीएल	(3,122)	(3,699)	(3,851)	(3,872)	(5,096)
पश्चिम बंगाल	(43)	3	34	83	119
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	(43)	3	34	83	119
निजी क्षेत्र	7,389	6,424	21,008	24,963	28,769
डीएनएच7 डीडी	129	140	370	476	-
डीएनएचपीडीसीएल	129	140	370	476	-
दिल्ली	3,152	3,972	8,702	9,622	11,591
बीआरपीएल	729	1,040	3,760	4,144	5,244
बीवाईपीएल	384	603	2,316	2,539	3,094
टीपीडीडीएल	2,039	2,330	2,627	2,939	3,253
गुजरात	-	-	2,444	2,773	4,018
टोरेंट सूरत	-	-	402	322	592
टोरेंट अहमदाबाद	-	-	2,042	2,451	3,426
महाराष्ट्र	9	(1,307)	(776)	898	1,580
एईएमएल	9	(1,307)	(776)	898	1,580
ओडिशा	(6,308)	(7,152)	(549)	264	517
नेस्को/टीपीएनओडीएल	(308)	(451)	(577)	74	190
साउथको/टीपीएसओडीएल	(765)	(1,101)	22	91	124
वेस्को/टीपीडब्ल्यूओडीएल	(1,321)	(1,351)	(1)	63	154
सीईएसयू/टीपीसीओडीएल	(3,914)	(4,249)	7	36	49
उत्तर प्रदेश	878	945	1,047	1,168	1,293
एनपीसीएल	878	945	1,047	1,168	1,293
पश्चिम बंगाल	9,528	9,825	9,770	9,761	9,770
सीईएससी	9,365	9,620	9,541	9,500	9,491
आईपीसीएल	163	205	230	261	279
कुल योग	(4,77,016)	(5,05,361)	(5,45,418)	(5,84,071)	(6,47,913)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-791
दिनांक 02 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

हाइड्रो क्षमता का दोहन करने की पहल

791. डा. धर्मस्थल वीरेंद्र हेग्गडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाइड्रो पंप भंडारण क्षमता सहित हाइड्रो क्षमता के दोहन के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में दोहन योग्य बड़ी हाइड्रो क्षमता और पहचान की गई पंप भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश में कितनी जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डीपीआर) को स्वीकृति प्रदान की गई है और कितनी विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार की जा रही हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने हाइड्रो पंप भंडारण क्षमता सहित जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, यथा:-

- बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक क्षमता) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।
- नामित उपभोक्ताओं द्वारा हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग दायित्व।
- जलविद्युत टैरिफ में कमी लाने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय।
- बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता।
- सक्षमकारी अवसंरचना जैसे सड़कें, पुल, रोप वे, रेलवे साइडिंग, संचार अवसंरचना और विद्युत गृह से निकटतम पूलिंग बिंदु तक पारेषण लाइन, जिसमें राज्य या केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी के पोलिंग सबस्टेशनों का उन्नयन शामिल है, की लागत के लिए बजटीय सहायता।
- देश में पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को जारी किए गए।
- जलविद्युत परियोजनाओं और पीएसपी के लिए अंतरराज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों में छूट।

- viii. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की राज्य सरकारों को राज्य कंपनियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम सहकार्यता के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए उनकी इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)।
- ix. जलविद्युत परियोजनाओं और पीएसपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की सहमति के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा समयसीमा में कमी।

(ख) : सीईए द्वारा वर्ष 2017-2023 की अवधि के दौरान किए गए अध्ययन के अनुसार, देश में दोहन योग्य बड़ी हाइड्रो क्षमता लगभग 133.4 गीगा वाट (जीडब्ल्यू) है। इसके अलावा, चिन्हित पंप भंडारण क्षमता लगभग 181.4 गीगा वाट है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

(ग) : सीईए ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 9,048 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली पीएसपी सहित 11 जलविद्युत (एचई) स्कीमों को मंजूरी दी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** पर हैं। इसके अलावा, 8,036 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 11 जलविद्युत स्कीमें और 60,050 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 44 पीएसपी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और जांच (एस एंड आई) के अधीन हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** पर है।

हाइड्रो की दोहन योग्य क्षमता और पंप भंडारण की चिन्हित क्षमता (25 मेगावाट से अधिक क्षमता) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(आंकड़े मेगावाट में)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दोहन योग्य पारंपरिक हाइड्रो क्षमता	चिन्हित पंप भंडारण क्षमता
उत्तरी क्षेत्र (एनआर)		
जम्मू एवं कश्मीर	12264	-
लद्दाख	707	-
हिमाचल प्रदेश	18305	7260
पंजाब	1301	-
हरियाणा	-	-
राजस्थान	411	9200
उत्तराखंड	13481	1000
उत्तर प्रदेश	502	16620
उप योग (उत्तरी क्षेत्र)	46971	34080
पश्चिमी क्षेत्र (डबल्यूआर)		
मध्य प्रदेश	2819	8560
छत्तीसगढ़	1311	8525
गुजरात	550	7700
महाराष्ट्र	3144	43405
गोवा	-	-
उप योग (पश्चिमी क्षेत्र)	7824	68190
दक्षिणी क्षेत्र (एसआर)		
आंध्र प्रदेश	2596	26420
तेलंगाना	1302	8755
कर्नाटक	4414	7600
केरल	2473	1200
तमिलनाडु	1785	16500
उप योग (दक्षिणी क्षेत्र)	12570	60475
पूर्वी क्षेत्र		
झारखंड	300	1500
बिहार	130	-

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दोहन योग्य पारंपरिक हाइड्रो क्षमता	चिन्हित पंप भंडारण क्षमता
ओडिशा	2825	5075
पश्चिम बंगाल	809	5500
सिक्किम	6051	-
उप-योग (पूर्वी क्षेत्र)	10115	12075
उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)		
मेघालय	2026	-
त्रिपुरा	-	-
मणिपुर	615	-
असम	643	320
नागालैंड	325	-
अरुणाचल प्रदेश	50394	660
मिजोरम	1927	5550
उप-योग (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	55930	6530
कुल (अखिल भारतीय)	1,33,410	1,81,350

नोट: दोहन योग्य/चिन्हित क्षमता कुछ परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता में परिवर्तन और वृद्धि/कमी के कारण बदलाव के अधीन है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीईए द्वारा सहमति प्राप्त पम्प भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) सहित जल विद्युत (एच.ई.) स्कीमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संसठित क्षमता (मेगावाट)	सहमति की तिथि
आंध्र प्रदेश					
1	पिन्नापुरम (पीएसपी)	निजी	ग्रीनको एनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड	1200	20.04.2022
2	अपर सिलेरू (पीएसपी)	राज्य	एपीजेनको	1350	13.06.2023
हिमाचल प्रदेश					
3	सुन्नी बांध	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	382	11.02.2021
4	थाना प्लाउन	राज्य	एचपीपीसीएल	191	07.09.2021
5	डुगर	केंद्रीय	एनएचपीसी	500	26.04.2022
जम्मू और कश्मीर					
6	उरी- I चरण- II	केंद्रीय	एनएचपीसी	240	07.03.2023
महाराष्ट्र					
7	भिवपुरी (पीएसपी)	निजी	टाटा पावर	1000	30.09.2024
8	भवाली (पीएसपी)	निजी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी	1500	24.09.2024
मेघालय					
9	वाह-उमियम चरण-III	केंद्रीय	नीपको	85	26.07.2021
ओडिशा					
10	ऊपरी इंद्रावती (पीएसपी)	राज्य	ओएचपीसी	600	30.08.2024
कर्नाटक					
11	शरावती (पीएसपी)	राज्य	केपीसीएल	2000	09.09.2024
कुल				9048	

जल विद्युत स्कीमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा जिनके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है

1. जल विद्युत (एच.ई.) स्कीम

क्रम. सं.	स्कीम का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
जम्मू और कश्मीर (जे एंड के)		
1	दुलहस्ती स्टेज-II	260
उप योग (जम्मू एवं कश्मीर)		260
अरुणाचल प्रदेश		
2	डेमवे अपर सेंट-I	270
3	नियारे	909
4	नाबा	1082
5	अंजाव	270
6	ओजू	2220
7	सुबनसिरी अपर	1605
8	कुरुंग	320
उप योग (अरुणाचल प्रदेश)		6676
मेघालय		
9	मिंटडुलेशका स्टेज-II	210
उप योग (मेघालय)		210
पश्चिम बंगाल		
10	तीस्ता इंटरमीडिएट	90
उप योग (पश्चिम बंगाल)		90
केरल		
11	इडुक्की विस्तार स्कीम	800
उप योग (केरल)		800
कुल		8,036

2. पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी)

क्रम.सं.	स्कीम का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
राजस्थान		
1	सुखपुरा ऑफ-स्ट्रीम	2560
2	शाहपुर	1800
3	सिरोही	1200
4	ब्राह्मणी	600
उप योग (राजस्थान)		6160
उत्तर प्रदेश		
5	कंधौरा	1680
6	मूसाखांड	600
7	यूपी01	3660
8	शोमा	2400
9	झरिया	1620
10	चिचलिक	1560
11	पनौरा	1500
उप-योग (उत्तर प्रदेश)		13020
ओडिशा		
12	बालीमेला पीएसपी	500
उप योग (ओडिशा)		500
गुजरात		
13	सेरूला	960
14	जूनी कयालिवेल	300
15	अमलपाड़ा	300
उप योग (गुजरात)		1560
मध्य प्रदेश		
16	इंदिरा सागर	640
17	एमपी30 गांधी सागर	1920
उप योग (मध्य प्रदेश)		2560
छत्तीसगढ़		
18	हसदेव बांगो	800
19	बिलासपुर	1000
उप योग (छत्तीसगढ़)		1800

महाराष्ट्र		
20	फलक	1500
21	तराली	1500
22	मालशेज घाट भोरंडे	1500
23	शिरवाटा	1800
24	वारसगांव वारंगी	1500
25	कोयना निवाकाणे	2700
26	नयागांव	2000
27	कर्जत (सैईडोंगर-1)	3000
28	मावल (सैईडोंगर-2)	1200
उप योग (महाराष्ट्र)		16700
आंध्र प्रदेश		
29	गांदीकोटा	1000
30	चित्रावती	500
31	सोमासिला	900
32	ओके	800
33	पेडिपालेम पूर्व	1200
34	सिंगनमाला	800
35	पेडिपालेम उत्तर	1000
36	वीरबल्ली ऑफ-स्ट्रीम	1800
37	वेमपल्ली	1500
38	रायवाड़ा	900
39	कमलापाडु	950
40	रायावरम	1500
41	गढ़ीकोटा	1200
42	पेडाकोटा	1800
उप योग (आंध्र प्रदेश)		15850
कर्नाटक		
43	सौंदत्ती	1600
44	नारिहल्ला	300
उप योग (कर्नाटक)		1900
कुल		60050

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-792

दिनांक 02 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव

792. श्री हरभजन सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गर्मियों के दौरान प्रतिवर्ष बढ़ते तापमान के कारण बिजली की मांग वर्ष-दर-वर्ष नई ऊंचाइयों को छू रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मांग को पूरा करने के लिए, विशेषकर नवीन और नवीकरणीय स्रोतों में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा पंजाब राज्य में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने और उसमें वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में मई, 2024 में 2,49,854 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक व्यस्ततम मांग रही, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। हाल के वर्षों में तेज आर्थिक विकास, घरों में नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के घंटों में वृद्धि के कारण देश की व्यस्ततम मांग और ऊर्जा आवश्यकता में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए अक्टूबर, 2024 तक देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 4,54,452 मेगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 2,22,500 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे हमारा देश विद्युत की कमी वाले देश से विद्युत पर्याप्तता वाला देश बन गया है।

विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया है:

- (i) विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के परामर्श से वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 80,000 मेगावाट की तापीय क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। इस लक्ष्य के मुकाबले 29,200 मेगावाट तापीय क्षमता पहले से ही निर्माणाधीन है, जबकि 51,520 मेगावाट आयोजना एवं विकास के विभिन्न चरणों में है।
- (ii) 13,997.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं और 6,050 मेगावाट पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। 24,225.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं और 50,760 मेगावाट की पीएसपी आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- (iii) 7,300 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और 7,000 मेगावाट योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।
- (iv) देश की वर्तमान संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता 2,03,215 मेगावाट है। इसके अलावा, 1,27,050 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण कार्य चल रहा है और 89,690 मेगावाट निविदा के विभिन्न चरणों में है। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 5,00,000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।

(ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से उचित मात्रा में विद्युत की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकार और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके और उनसे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पात्रता के अनुसार विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

पंजाब की विद्युत आपूर्ति की स्थिति और धान के मौसम के दौरान बढ़ी हुई विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से निम्नलिखित विवरण के अनुसार अतिरिक्त विद्युत आवंटित की थी:

- (i) उत्तरी क्षेत्र के अनाबंटित पूल से जून, 2024 से सितंबर, 2024 की अवधि के लिए 207 मेगावाट।
- (ii) तेलंगाना एसटीपीपी अनाबंटित विद्युत से दिनांक 01.06.2024 से 15.10.2024 तक 180 मेगावाट और एनआर पूल से दिनांक 01.07.2024 से 15.10.2024 तक 300 मेगावाट।
- (iii) दक्षिणी क्षेत्र के अनाबंटित पूल से दिनांक 16.07.2024 से 15.09.2024 तक 200 मेगावाट।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए अक्टूबर, 2024 तक देश में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2021-22	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3
2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक)*	10,28,850	10,27,589	1,261	0.1

* अक्टूबर, 2024 के आंकड़े अनंतिम हैं

वर्ष	व्यस्ततम [मेगावाट (एमडबल्यू) में]			
	व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अनापूर्ति मांग	
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2021-22	2,03,014	2,00,539	2,475	1.2
2022-23	2,15,888	2,07,231	8,657	4.0
2023-24	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4
2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक)	2,49,856	2,49,854	2	0.001

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-793

दिनांक 02 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

बिहार और तमिलनाडु में स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम

793. श्री सी.वी. षनमुगमः
डा. भीम सिंहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) का ब्यौरा और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का एसएलएनपी के अंतर्गत बिहार और तमिलनाडु राज्यों में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटें लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्य किया गया है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार और तमिलनाडु राज्यों को एसएलएनपी के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई और उपयोग में लाई गई?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वर्ष 2015 में शुरू किए गए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) का उद्देश्य पूरे भारत में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए एलईडी लैंपों को व्यापक रूप से अपनाकर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा की खपत और लागत को कम करना है।

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई का एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) एसएलएनपी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ईईएसएल ने वह व्यवसाय मॉडल अपनाया जो स्थानीय निकायों को अग्रिम निवेश के बोझ से मुक्त करता है। ईईएसएल प्रारंभिक निवेश करता है और परियोजना अवधि के दौरान स्थानीय निकायों द्वारा भुगतान की जाने वाली मासिक/तिमाही वार्षिकी के माध्यम से इसकी भरपाई करता है। एसएलएनपी के अंतर्गत, ईईएसएल एलईडी स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का कार्य भी

संभालता है, जिससे 95% से अधिक समय तक काम करना सुनिश्चित होता है, जिससे स्थानीय निकाय के बजट पर बोझ डाले बिना सार्वजनिक सुरक्षा और विश्वसनीय नगरपालिका सेवाएं बढ़ती हैं।

एसएलएनपी के अंतर्गत विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 13.1 मिलियन से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इसके परिणामस्वरूप लगभग 8.8 बिलियन किलोवाट घंटा की वार्षिक बिजली बचत हुई है तथा नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 6,178 करोड़ रुपये की वार्षिक मौद्रिक बचत हुई है। संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख) एवं (ग) : बिहार में एसएलएनपी कार्यक्रम पहले ही लागू हो चुका है। दिनांक 20 नवंबर 2024 तक बिहार में एसएलएनपी के तहत 5,75,922 स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदला जा चुका है। तमिलनाडु में एसएलएनपी कार्यक्रम अभी तक लागू नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसएलएनपी एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, जिसमें ईईएसएल स्थानीय निकायों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समझौते करता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करने के लिए अपनी सहमति और इच्छा व्यक्त करते हैं। चूंकि ईईएसएल को एसएलएनपी के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु से कोई सहमति नहीं मिली है, इसलिए कार्यक्रम अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(घ) : भारत सरकार ने एसएलएनपी के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया है, क्योंकि यह कार्यक्रम ईईएसएल द्वारा स्व-वित्तपोषण मोड में कार्यान्वित किया जाता है।

क्रम सं.	राज्य	एलईडी स्ट्रीट लाइट
1	आंध्र प्रदेश	29,47,706
2	असम	28,875
3	बिहार	5,75,922
4	चंडीगढ़	46,496
5	छत्तीसगढ़	3,81,199
6	दिल्ली	17,28,884
7	गोवा	2,07,183
8	गुजरात	9,03,519
9	हरियाणा	85,139
10	हिमाचल प्रदेश	63,332
11	जम्मू और कश्मीर	1,88,860
12	झारखंड	5,54,091
13	कर्नाटक	13,226
14	केरल	4,33,979
15	लक्षद्वीप	1000
16	मध्य प्रदेश	2,95,417
17	महाराष्ट्र	11,14,328
18	ओडिशा	3,53,808
19	पांडिचेरी	1,520
20	पोर्टब्लेयर	14,995
21	पंजाब	1,27,267
22	राजस्थान	10,73,238
23	सिक्किम	1,073
24	तमिलनाडु	7,876 (संस्थागत परियोजना के अंतर्गत)
25	तेलंगाना	17,28,884
26	त्रिपुरा	76,426
27	उत्तर प्रदेश	12,90,949
28	उत्तराखंड	1,33,511
29	पश्चिम बंगाल	94,198
	कुल योग	1,31,42,082

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-794
दिनांक 02 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

किसानों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति

794. डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:
श्री मदन राठौड़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अधिक लोड वाले कृषि फीडरों को पृथक करने का प्रयास किया है ताकि घरेलू खपत के लोड को कम किया जा सके;

(ख) अब तक पहचान किए गए और अलग किए गए फीडरों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) फीडरों को अलग-अलग करने में कुल कितनी लागत आई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार कुशल भार प्रबंधन के उद्देश्य से 30% से अधिक कृषि भार वाले मिश्रित भार फीडरों को कृषि और गैर-कृषि फीडरों में विभाजित करने पर जोर दे रही है। यह आशा की जाती है कि कृषि फीडरों को अलग करने से कृषि उपभोग के लिए आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्ट्रिंग में सुविधा होगी तथा उनका सौरीकरण संभव होगा, जिससे आपूर्ति की लागत कम करने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत फीडर पृथक्करण के लिए कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। डीडीयूजीजेवाई के तहत, 7,833 फीडरों को 10,394 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ अलग किया गया था और यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई।

आरडीएसएस के अंतर्गत, 40,509 करोड़ रुपये की लागत के फीडर पृथक्करण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं और ये कार्य स्कीम अवधि अर्थात दिनांक 31.03.2026 के भीतर पूरे किए जाने हैं।

फीडर पृथक्करण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

#	विवरण	फीडर
1	पृथक्करण के लिए व्यवहार्य 30% से अधिक कृषि भार वाले कुल फीडर	80,631
2	विभिन्न स्कीमों के तहत पृथक किए जा चुके फीडर	49,512
3	आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत फीडर	31,119
4.	आज तक आरडीएसएस के अंतर्गत अलग किए गए फीडर	3,874
